

गौशालाओं/नन्दीशालाओं को चारा के लिए वित्तीय सहायता हेतु स्व-घोषणा पत्र

मैं सुपुत्र श्री गौशाला/नन्दीशालास्थान
..... जिसका गौ सेवा आयोग पंजीकरण नं० है, का प्रधान/सचिव हूँ। इस
गौशाला/नन्दीशाला में गौवंश की कुल संख्या है। यह गौशाला/नन्दीशाला हरियाणा गौ सेवा आयोग
व पशुपालन एवं डेरिंग विभाग द्वारा दिये जाने वाले चारा अनुदान प्राप्त करने की इच्छुक हूँ।

मैं इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि:-

1. यह गौशाला/नन्दीशाला नस्ल सुधार, चिकित्सा, वैक्सीन, ईयर टैगिंग, कास्ट्रेशन आदि में पशुपालन एवं डेरिंग विभाग का सहयोग करेगी तथा सभी गौवंश का उचित रिकार्ड रखेगी;
2. यह गौशाला/नन्दीशाला वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर नहीं है और सभी गौवंश को पेटभर खिलाने के लिए संसाधन कम हैं;
3. गौशाला/नन्दीशाला में दुधारू गायों की संख्या है जो कि कुल गौवंश के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है;
4. गौशाला/नन्दीशाला कुल सुखे चारे का कम से कम 25 प्रतिशत पराली के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सहमत है;
5. यह गौशाला/नन्दीशाला हरियाणा राज्य के किसी अन्य विभाग/स्वायत्त संस्था (नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम इत्यादि) से अनुदान नहीं ले रही है;
6. चारा अनुदान का उपयोग केवल चारे की खरीद के लिए ही किया जाएगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर पशुपालन एवं डेरिंग विभाग को भेज दिया जायेगा;
7. यह गौशाला/नन्दीशाला गौवंश की उचित देखभाल करेगी और उन्हें गौशाला/नन्दीशाला से बाहर नहीं छोड़ेगी;
8. गौ सेवा आयोग व पशुपालन एवं डेरिंग विभाग, हरियाणा के अधिकारी/कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं;
9. गौशाला/नन्दीशाला समय-समय पर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करेगी;
10. पशुपालन एवं डेरिंग विभाग या शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा कहे जाने पर बेसहारा गौवंश को गौशाला/नन्दीशाला में क्षमतानुसार पुर्नवासित करने के लिए सहमत है;
11. यदि किसी भी स्तर पर गौ सेवा आयोग/पशुपालन एवं डेरिंग विभाग की जानकारी में आता है कि गौशाला/नन्दीशाला ने योजना के किसी भी नियम या शर्त का उल्लंघन किया है या गलत जानकारी प्रदान की है, तो सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी वित्तीय सहायता वापस करने के लिए गौशाला/नन्दीशाला बाध्य होगी और भविष्य में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही किसी अन्य योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए अयोग्य होगी;
12. मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है;

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
गौशाला प्रधान/सचिव/प्रबंधक
नाम:
पद:
मो०